न्यायालयः—विशेष न्यायाधीश,पॉक्सो एक्ट, बड़वानी, जिला बड़वानी (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारीः—रेखा आर.चंद्रवंशी)

Registration No.	SC-42/2025
Filing No.	981/2025
CNR No.	MP4601-001242-2025
Filing Date	26-04-2025

यह सत्र प्रकरण पुलिस थाना बड़वानी के अपराध क्र.639/2024 अन्तर्गत धारा—137(2),142, 64 (1),64(2)(एम),87,3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा—3/4,5(l)/6 पॉक्सो एक्ट से उद्भूत प्रकरण।

अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना बड़वानी,जिला बड़वानी (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती शीला अलावा, सहायक विशेष लोक अभियोजक।
आरोपी—	1. संदीप पिता पर्वतसिंह मुझाल्दे,उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम सोनगांव थाना बाग, जिला धार 2. रवि उर्फ रविन पिता पर्वतसिंह मुझाल्दे,उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम सोनगांव थाना बाग, जिला धार 3. भूरसिंह पिता हरिया अखाड़े, उम्र 23 वर्ष, निवासी—जामली, अखाड़ियापुरा फल्या, थाना गंधवानी, जिला धार 4. दीपिका उर्फ दीपमाला पति भूरसिंह अखाड़े, उम्र 22 वर्ष,निवासी—जामली, अखाड़ियापुरा फल्या, थाना गंधवानी, जिला धार
प्रतिनिधित्व द्वारा —	श्री श्रीकांत मुकाती

अपराध की तारीख	04.10.2024 से 25.03.3035
प्रथम सूचना रिपोर्ट	10.10.2024
आरोप पत्र की तारीख	09.04.2025
आरोपों के विरचना की तारीख	02.05.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	19.05.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	27.06.2026
निर्णय की तारीख	27.06.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

//अभियुक्त का विवरण //

आरोपी की श्रेणी	आरोपी का नाम	गिरफ. की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 भा.ना.सु.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि।
01	संदीप पिता पर्वतसिंह	25.3.2025	24.5.2025	137(2),87,64(2)(एम) भा.न्या.स.एवं धारा–5 (एल)/6 पाक्सो एक्ट	दोषमुक्ति	निर्णयानुसार	दि.25.3.2025 से 24.5.2025
02	रवि उर्फ रविन पिता पर्वतसिंह	25.3.2025	16.4.2025	142/3(5) भा.न्या.सं.	दोषमुक्ति	निर्णयानुसार	दि.25.3.2025 से 16.4.2025
03	भूरसिंह पिता हरिया	26.2.2025	16.4.2025	142/3(5) भा.न्या.सं.	दोषमुक्ति	निर्णयानुसार	दि.16.4.2025 से 16.4.2025
04	दीपिका उर्फ दीपमाला पति भूरसिंह	25.3.2025	16.4.2025	142/3(5) भा.न्या.सं.	दोषमुक्ति	निर्णयानुसार	दि.16.4.2025 से 16.4.2025

–अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची–

क– अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	अभियोक्त्री	स्वयं पीड़िता
अ.सा.2	पीड़िता की माता	अन्य साक्षी
अ.सा.3	सुशीला बघेल	पीड़िता की जन्मतिथि संबंधी साक्षी
अ.सा.4	डॉ.राहुल पाटीदार	पुलिस साक्षी
अ.सा.5	आशिक खान	पुलिस साक्षी
अ.सा.6	ममता जमरा	पुलिस साक्षी
अ.सा.7	डॉ.सपना ठाकुर	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा.8	कमल मोरे	पुलिस साक्षी

ख– प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो:–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक		

ग– न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो:–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क– अभियोजनः–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्र.पी.–1 / अ.सा.–1	दस्तयाबी पंचनामा
02	प्र.पी.–2 / अ.सा.–1	पीड़िता का एमएलसी फार्म
03	प्र.पी.–3 / अ.सा.–1	पीड़िता का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
04	प्र.पी.–4 / अ.सा.–1	सुपुर्दगी पंचनामा
05	प्र.पी.–5 / अ.सा.–1	पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के कथन
06	प्र.पी.–6 / अ.सा.–1	आदेश पत्रिका
07	प्र.पी.–7 / अ.सा.–1	पीड़िता के पुलिस कथन
08	प्र.पी.–8 / अ.सा.–2	पीड़िता की मां के पुलिस कथन
09	प्र.पी.–9 / अ.सा.–3	स्कालर रजिस्टर की प्रति हेतु पत्र
10	प्र.पी.–10 / अ.सा.–3	स्कालर रजिस्टर की प्रविष्ठि
11	प्र.पी.–11 / अ.सा.–4	अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन
12	प्र.पी.–12 / अ.सा.–4	अभियुक्त का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
13	प्र.पी.–13 / अ.सा.–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट
14	प्र.पी.–14 / अ.सा.–5	गुमशुदगी रिपोर्ट
15	प्र.पी.–15 / अ.सा.–6	पुलिस कथन
16	प्र.पी.–16 / अ.सा.–6	धारा 63(3) भा.साक्ष्य अधि.का प्रमाणपत्र
17	प्र.पी.–17 / अ.सा.–6	पीड़िता के मेडिकल परीक्षण की सहमति
18	प्र.पी.–18 / अ.सा.–8	नक्शा मौका
19	प्र.पी.–19 / अ.सा.–8	जप्ती पंचनामा
20	प्र.पी.–20 / अ.सा.–8	जप्ती चिठ
21	प्र.पी.–21 / अ.सा.–8	अभियुक्त भूरसिंह का गिरफ्तारी पंचनामा
22	प्र.पी.–22 / अ.सा.–8	अभियुक्त भूरसिंह की गिरफ्तारी की सूचना
23	प्र.पी.–23 / अ.सा.–8	अभियुक्त भूरसिंह का मेमोरंडम
24	प्र.पी.–24 / अ.सा.–8	अभियुक्त संदीप का गिरफ्तारी पंचनामा
25	प्र.पी.–25 / अ.सा.–8	अभियुक्त रवि का गिरफ्तारी पंचनामा
26	प्र.पी.–26 / अ.सा.–8	अभियुक्त संदीप व रवि की गिरफ्तारी की सूचना
27	प्र.पी.–27 से 29 / अ.सा.–8	अभियुक्त संदीप,रवि व दीपिका के मेमोरंडम
28	प्र.पी.–30 / अ.सा.–8	अभियुक्त संदीप का मेडिकल फार्म
29	प्र.पी.–31 / अ.सा.–8	अभियुक्त संदीप का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
30	प्र.पी.–32 / अ.सा.–8	जप्ती पंचनामा
30	प्र.पी.–33 / अ.सा.–8	जप्ती पंचनामा
31	प्र.पी.–34 / अ.सा.–8	ड्राप्ट एवं विखंडन प्रमाणपत्र
32	प्र.पी.–35 / अ.सा.–8	आर्टिकल जमा करने की रसीद

33	प्र.पी.–36/अ.सा.–8	डीएनए रिपोर्ट
34	प्र.पी.–37/अ.सा.–8	धारा 183 बीएनएसएस के कथन हेतु पत्र
35	प्र.पी.–38/अ.सा.–8	धारा 63(4)(सी)भा.साक्ष्य अधि.का प्रमाणपत्र
36	प्र.पी.–39 से 41/अ.सा.–8	रोजनामचा सान्हा की प्रतियां

ख– प्रतिरक्षा :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

ग– न्यायालयीन प्रदर्श:–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	–

घ– आवश्यक वस्तुएं:–

स.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
01	आर्टिकल ए.1/अ.सा.6	सी.डी.
02	आर्टिकल ए.2/अ.सा.8	सी.डी.

–:: नि र्ण य ::–

(आज दिनांक–27.06.2026 को घोषित)

नोट:–न्याय दृष्टांत निपुण सक्सेना विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया 2019(2) एस.सी.सी. 730 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(7) के अनुपालन में बालक की पहचान प्रकट न हो, इस प्रयोजन से प्रकरण में पीड़िता को अभियोक्त्री/पीड़िता के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

01– अभियुक्त संदीप पर धारा–137(2), 87, 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अभियुक्त रवि, भूरसिंह एवं दीपिका पर धारा धारा 142 सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप है कि अभियुक्त संदीप ने दिनांक 4.10.2024 को 10.00 से 17.00 बजे के मध्य 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना ले जाकर व्यपहरण किया तथा पीड़िता का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे विवाह करने या अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने के आशय या संभावना से किया तथा उसने उक्त अवधि के मध्य मोरबी गुजरात में उक्त पीड़िता के साथ जबरदस्ती मैथुन कर बारम्बार बलात्संग कारित किया तथा उक्त अवयस्क पीड़िता के साथ अपना लिंग उसकी योनि में प्रवेश कराकर बारम्बार संभोग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक

हमला कारित किया तथा उक्त अवधि में व्यपहृत उक्त पीड़िता को गुजरात मोरबी में सदोष छिपाया या परिरोध में रखा।

02— अभियोजन के अनुसार दिनांक—4.10.2024 को पुलिस थाना बड़वानी में फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट लिखायी कि उसके लड़के की लड़की पीड़िता, जिसकी उम्र 17 वर्ष होकर जन्म दिनांक 2.2.2007 है, उसका लड़का महाराष्ट्र में मजदूरी करता है, उसकी पोती पीड़िता उसके साथ रहती है, दिनांक 04.10.2024 को सुबह करीब 10 से 11 बजे वह खेत में काम करने चला गया था, शाम करीब 5 बजे घर वापस आया तो उसकी पोती पीड़िता घर पर नहीं थी, उसने आसपास, रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन नहीं मिली। उसकी पोती पीड़िता, संदीप मुजाल्दे से बातचीत करती रहती थी, उसे शंका है कि उसकी नाबालिग पोती पीड़िता को संदीप मुजाल्दे ही भगाकर ले गया होगा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बड़वानी में अपराध क्र.639/2024 धारा 137(2) बी.एन.एस.दर्ज किया गया एवं गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण क्र.169/2024 पंजीबद्ध किया गया।

03— पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान दिनांक 25.3.2025 को पीड़िता को अभियुक्त के कब्जे से दस्तयाब किया गया, पीड़िता से पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किये गये तथा उसके आधार पर प्रकरण में धारा 142, 64(1),64(2)(एम),87, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा—3/4, 5(l)/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत कथन करवाये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया तथा अभियुक्त संदीप का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में पीड़िता एवं अभियुक्त संदीप के डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूने एफ.एस.एल.जांच हेतु भेजे गये। पुलिस द्वारा प्रकरण में आवश्यक अन्वेषण पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्त पर निर्णय की कंडिका—1 अनुसार आरोप विरचित किये। अभियुक्त ने उक्त आरोपों को अस्वीकार कर विचारण हेतु निवेदन किया। अभियुक्त ने धारा 351 भा.ना.सु.सं.के तहत किये गये परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना, उसे झूंठा फंसाया जाना बताते हुए बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है किः—

(1) क्या घटना दिनांक 4.10.2024 को पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की बालिका थी ?

(2) क्या अभियुक्त संदीप ने दिनांक 4.10.2024 को 10.00 से 17.00 बजे के मध्य 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना ले जाकर व्यपहरण किया तथा पीड़िता का व्यपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे विवाह करने या अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने के आशय या संभावना से किया ?

(3) क्या अभियुक्त संदीप ने उक्त अवधि के मध्य मोरबी गुजरात में उक्त पीड़िता के साथ जबरदस्ती मैथुन कर बारम्बार बलात्संग कारित किया तथा उक्त अवयस्क पीड़िता के साथ अपना लिंग उसकी योनि में प्रवेश कराकर बारम्बार संभोग कर गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?

(4) क्या उक्त अवधि में अभियुक्तगण रवि, भूरसिंह एवं दीपिका ने व्यपहृत उक्त पीड़िता को गुजरात मोरबी में सदोष छिपाया या परिरोध में रखा ?

(5) दोषसिद्धि एवं दंडादेश ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–(1)

06– सर्वप्रथम पीड़िता की आयु निर्धारण संबंधी विधिक स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक है। पीड़िता की आयु के संदर्भ में सर्वप्रथम विद्यालय से प्राप्त दस्तावेज/जन्म संबंधी प्रमाण–पत्र पर विचार किया जाना है। अभियोजन की ओर से पीड़िता की स्कूल का रजिस्टर प्रदर्श पी.9 पेश किया गया है। पीड़िता अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में उसे अपनी जन्म दिनांक व माह याद नहीं होना, किन्तु जन्म वर्ष 2006 होना बताया है। साक्षी पक्षद्रोही होकर सूचक प्रश्न के दौरान भी यह अस्वीकार करती है कि उसकी जन्म तारीख 2.2.2007 है।

07– स्कूल के शिक्षक सुशीला बघेल अ.सा.3 ने अपनी साक्ष्य में वर्ष 2014 से स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ होना, पुलिस थाना राजपुर से उसे पीड़िता के स्कालर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति हेतु पत्र प्रदर्श पी.9 प्राप्त होना,जिसके ए से ए भाग पर उसके प्राप्ति संबंधी हस्ताक्षर होना, उनके स्कूल में पीड़िता ने दिनांक 17.7.2012 को कक्षा पहली में नवीन प्रवेश लेना, कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दिनांक 16.6.2017 को दाखिला लेकर चली जाना, स्कूल के मूल स्कालर रजिस्टर के विद्यार्थी प्रवेश क्र.619 पर पीड़िता का नाम दर्ज होकर जन्म

तारीख 2.2.2007 होना, जो प्रदर्श पी.10 होकर सत्यापित प्रतिलिपि प्रदर्श पी.10–सी होना, जिसके ए से ए भाग पीड़िता की जन्म दिनांक उल्लेखित होना तथा बी से बी भाग पर प्रधानाध्यापक सूरतसिंह डावर के हस्ताक्षर होना बताया है। कमल मोरे अ.सा.8 ने भी उसके द्वारा पीड़िता के जन्म के संबंध में स्कालर रजिस्टर की जानकारी प्राप्त करने हेतु उसके विद्यालय को पत्र प्रदर्श पी.9 जारी किया जाना, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है।

08– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि पीड़िता की जन्म तिथि के संबंध में स्कालर रजिस्टर तथा पीड़िता की साक्ष्य में विरोधाभास आया है तथा पीड़िता की मां द्वारा भी स्कालर रजिस्टर में अंकित पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है तथा स्कालर रजिस्टर में जन्मतिथि किस आधार पर लिखी गई, यह प्रमाणित नहीं है, जबकि अभियोजन की ओर से यह तर्क किया गया है कि स्कालर रजिस्टर प्रदर्श पी.10 में पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में शिक्षक सुशीला बघेल अ.सा.3 की साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है।

09– अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि स्कॉलर रजिस्टर प्रदर्श पी.10 एक लोक दस्तावेज है जिसकी प्रविष्टि एक लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य के निर्वहन के दौरान की जाकर धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है, परंतु किसी तथ्य का साक्ष्य में ग्राह्य होना और उसका प्रमाणित होना भिन्न–भिन्न बातें हैं। न्याय दृष्टांत <u>सतपाल वि. स्टेट ऑफ हरियाणा (2010) 8 एस.सी.सी.714 निर्णय दिनॉक 13.01.2023</u> में यह प्रतिपादित किया गया है कि पीडिता की उम्र के निर्धारण में स्कूल रजिस्टर में जन्म दिनांक की प्रविष्टि साक्ष्य में ग्राह्य होती है, क्योंकि यह प्रविष्टि पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान की जाती है, जो धारा 35 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तक ग्राह्य होती है, लेकिन उक्त प्रविष्टि किसकी सूचना पर की गई है और सूचना का स्त्रोत क्या था, यह तथ्य सूचना के अधिकृत होने के बारे में महत्वपूर्ण होते हैं।

10– शिक्षक सुशीला बघेल अ.सा.3 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह नहीं बता सकती कि अभियोक्त्री को स्कूल में किसके द्वारा भर्ती करवाया गया था। यह स्वीकार किया कि अभियोक्त्री को उनके विद्यालय में उसके द्वारा प्रवेश नहीं दिया गया था। यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 10–सी के ए से ए भाग पर अभियोक्त्री की जन्म दिनांक किस आधार पर लिखी है, वह नहीं बता सकती है। यह

भी स्वीकार किया कि अनपढ़ और अशिक्षित अपने बच्चों की जन्म दिनांक अंदाजन लिखने के लिए शिक्षक को कह देते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि वह अभियोक्त्री का प्रवेश फार्म साथ लेकर नहीं आई है। पीड़िता की मां अ.सा.2 ने भी पीड़िता की उम्र के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। इस तरह स्वयं पीड़िता अ.सा.1 एवं उसकी मां अ.सा.2 के द्वारा प्रदर्श पी.10 के स्कालर रजिस्टर में अंकित पीड़िता की जन्मतिथि की पुष्टि नहीं की गयी है।

11— न्याय दृष्टांत विजय उर्फ चीकु विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य आई.एल.आर. 2023 एम.पी.1243 में माननीय न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि स्कूल के रजिस्टर में अभिभावक/संरक्षक द्वारा जन्मतिथि की प्रविष्ठि करायी गयी है, तो इस आशय की सकारात्मक साक्ष्य आनी चाहिये। स्कूल रजिस्टर की प्रविष्ठि उक्त के अभाव में विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। न्याय दृष्टांत विष्णु उर्फ उदरिया विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2005 एस0सी0सी0 ऑन लाईन एस0सी0 1680 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी भी बालक की आयु के निर्धारण हेतु उसके माता—पिता की साक्ष्य सर्वश्रेष्ठ होती है।

12— अतः उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण अनुसार अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि पीड़िता घटना दिनांक 4.10.2024 को 18 वर्ष से कम आयु की होकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा—2(डी) के अधीन बालक की श्रेणी में आती है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक—(1) का निष्कर्ष ''अप्रमाणित'' पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—2 लगायत 5:—

13— उक्त सभी प्रश्न एक ही साक्ष्य श्रृंखला पर आधारित होने के कारण साक्ष्य विश्लेषण की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उक्त सभी विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण एक साथ किया जा रहा है।

14— उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आशिक खान अ.सा.5 ने अपने कथन में बताया कि उसके दिनांक 10.10.2024 को पुलिस थाना बड़वानी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर रहने के दौरान अभियोक्त्री के दादा ने बड़वानी थाने पर आकर मौखिक सूचना दी थी, कि ''दिनांक 04.10.2024 को सुबह करीब 10 से 11 बजे वह खेत में काम करने चला गया था, शाम करीब 5 बजे घर वापस आया, तो उसकी पोती अभियोक्त्री घर पर नहीं थी, उसने आसपास, रिश्तेदारों में तलाश किया तथा उसके लड़के से भी इस संबंध में पूछा, तो उसने भी जानकारी नहीं होना

बताया, अभियोक्त्री को अभियुक्त संदीप से बात करते देखा था, उसे शंका है कि उसकी पोती को अभियुक्त संदीप ही भगाकर ले गया होगा।'' उक्त सूचना के आधार पर उसके द्वारा पुलिस थाना बड़वानी के अपराध क्र.639/2024 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पाए जाने पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी.14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

15— कमल मोरे अ.सा.8 ने अपनी साक्ष्य में बताया कि दिनांक 10.10.2024 को पुलिस थाना बड़वानी पर उपनिरीक्षक के पद पर रहने के दौरान अपराध क्र. 639/2024 अंतर्गत धारा 137(2) भा.न्या.सं.की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा फरियादी की निशादेही घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.18 है, बनाया जाना, उसके द्वारा फरियादी,पीड़िता के माता पिता व अन्य साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये जाना,दिनांक 22.2.2025 को आरोपी व पीड़िता के कार्य स्थल पर कार्य/मजदूरी करने की उपस्थिति का रजिस्टर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.19 अनुसार जप्त किया जाना, उक्त रजिस्टर पर जप्ती चिट प्रदर्श पी.20 चस्पा की जाना,उक्त जप्तशुदा रजिस्टर आर्टिकल ए.2 होना तथा उक्त दिनांक को उसके द्वारा साक्षी राजू के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये जाना बताया है।

16— कमल मोरे अ.सा.8 ने अपनी साक्ष्य में यह भी बताया कि दिनांक 26.2. 2025 को उसके द्वारा आरोपी भूरसिंह को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी.21 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गयी थी, जो प्रदर्श पी.22 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा पुलिस थाना बड़वानी पर आरोपी भूरसिंह से साक्षीगण के समक्ष पूछताछ कर मेमोरंडम तैयार किया गया था, जो मेमोरंडम प्रदर्श पी.23 है,जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने दिनांक 25.3.2025 को उसके द्वारा पीड़िता को साक्षियों के समक्ष दस्तयाबी पंचनामा प्रदर्श पी.1 अनुसार दस्तयाब किया जाना बताया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा पीड़िता के डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लिये जाने के लिये फार्म तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी. 3 है, जिसके ए से ए भाग पर पीड़िता तथा सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

17— ममता जमरा अ.सा.6 ने अपनी साक्ष्य में वह दिनांक 25.03.2025 को पुलिस थाना अंजड़ पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होने के दौरान एसडीओपी

महोदय के मौखिक आदेश से पुलिस थाना बड़वानी पर महिला संबंधी अपराध होने से जाना, उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा पीड़िता के कथन उसके बताए अनुसार लेख किए जाना, जिसकी विडियोग्राफी उसके मोबाईल से महिला आरक्षक द्वारा की जाना, जिसकी सीडी थाने के शासकीय कम्प्यूटर से तैयार की जाना, जो आर्टिकल ए–1 होना, जिसके संबंध में उसके द्वारा धारा–63(3) साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिया गया प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 15 होना, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना, उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाने हेतु मेडिकल सहमति प्रदर्श पी 16 लेकर अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण करवाने हेतु मेडिकल फार्म जारी प्रदर्श पी 2 जारी किया जाना बताया है। साक्षी ने यह भी कहा कि उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी दीपिका को पुलिस थाना बड़वानी पर पंचों के समक्ष प्रदर्श पी 17 के गिरफ्तारी पंचनामे अनुसार गिरफ्तार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

18— डॉ.सपना ठाकुर अ.सा.7 ने अपनी साक्ष्य में बताया कि दिनांक–25.3.2025 को जिला अस्पताल बड़वानी में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान पुलिस थाना बड़वानी से प्रधान आरक्षक क्र.419 किरण एवं उपनिरीक्षक ममता जमरा द्वारा पीड़िता को मेडिकल परीक्षण एवं डीएनए परीक्षण हेतु लाये जाने पर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया था। पीड़िता के बाह्य एवं आंतरिक परीक्षण में कोई चोट या खरोच के निशान होना नहीं पाये थे। योनि परीक्षण में उसके गुप्तांग पर कोई चोट का निशान और वीर्य मड वगैरह के निशान नहीं होना तथा हायमन फटा होना बताया है। साक्षी के अनुसार उसके अभिमत में पीड़िता के साथ बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता है, उसके द्वारा पीड़िता की दो वेजाइनल स्लाईड, प्यूबिक हेयर और डार्क ब्राउन कलर की अंडरवीयर सीलबंद कर सील नमूना सहित संबंधित आरक्षक को दिया जाना, अभियोक्त्री का यू.पी.टी. पॉजीटिव आना, अभियोक्त्री की सोनोग्राफी टेस्ट की सलाह दी जाना, उसके द्वारा तैयार की गयी मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी.2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। साक्षी ने यह भी कहा कि अभियोक्त्री का रक्त नमूना लिये जाने के पूर्व रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी.3 का तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर अभियोक्त्री की फोटो चस्पा है तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसके पश्चात पीड़िता का दो एम.एल.रक्त नमूना इडीटीए वायल में लिया जाकर सीलबंद कर सील नमूना सहित संबंधित पुलिस को दिया था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्ष्य अखंडित रही है।

19— कमल मोरे अ.सा.ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 25.3.2025 को ही उसके द्वारा थाना बड़वानी पर महिला आरक्षक क्र.489 किरण द्वारा पीड़िता के आर्टिकल से संबंधित सीलबंद पैकेट जिन पर पीड़िता की अंडरवीयर, वेजाइनल स्लाईड, वेजाइनल स्वॉब, प्यूबिक हेयर और दो एमएल रक्त नमूना इडीटीए वायल में जिला अस्पताल की सील नमूना होना लेख था, जिला अस्पताल बड़वानी से लाकर पेश किये जाने पर उसके द्वारा उक्त पैकेट जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.32 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने दिनांक 26.3.2025 को उसके द्वारा पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के कथन हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी को पत्र प्रदर्श पी.37 लिखा जाना, दिनांक 26.3.2025 को उसके द्वारा पीड़िता को उसके माता पिता के सुपुर्दगी पंचनामा प्रदर्श पी.4 अनुसार सुपुर्द की जाना, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है।

20— कमल मोरे अ.सा.8 ने अपनी साक्ष्य में यह बताया कि दिनांक 25.3.2025 को उसके द्वारा आरोपी संदीप व रवि को गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी.24 एवं प्रदर्श पी.25 है, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त आरोपीगण के गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजन को दी गयी थी, जो प्रदर्श पी.26 होकर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त आरोपी संदीप, रवि व दीपिका से पूछताछ कर मेमोरंडम तैयार किये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी.27, 28 एवं 29 पर ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा आरोपी संदीप को मेडिकल जांच एवं डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लिये जाने के लिये मेडिकल फार्म प्रदर्श पी.30 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी.31 तैयार किया गया था,जिनके ए से ए भाग पर आरोपी का फोटो एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

21— डॉ.राहुल पाटीदार अ.सा.1 ने दिनांक 25.3.2025 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान पुलिस थाना बड़वानी से आरक्षक क्र.279 चेतन जामोद द्वारा अभियुक्त संदीप को यौन क्षमता के मेडिकल परीक्षण एवं डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना के लिये लाये जाने पर अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे संभोग करने में सक्षम होने की साक्ष्य देते हुए अभियुक्त की दो सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, तथा अंडरवीयर एवं दो एमएल रक्त नमूना इडीटीए वायल में सीलबंद पैकेट में सील नमूना सहित संबंधित को दिए जाने की साक्ष्य दी है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.11

होना, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना बताया। साक्षी ने अपने कथन में अभियुक्त का रक्त नमूना लिये जाने के पूर्व रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी.12 तैयार किया जाना, जिसके ए से ए भाग पर अभियुक्त की फोटो चस्पा होना तथा बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्ष्य अखंडित रही है।

22— कमल मोरे अ.सा.8 ने अपनी साक्ष्य में यह बताया कि दिनांक 25.3.2025 को थाना बड़वानी पर आरक्षक क्र.279 चेतन द्वारा आरोपी संदीप के आर्टिकल से संबंधित सीलबंद पैकेट जिन पर आरोपी की अंडरवीयर, प्यूबिक हेयर, सीमन स्लाईड और दो एमएल रक्त नमूना इडीटीए वायल में जिला अस्पताल की सील नमूना होना लेख था, जिला अस्पताल बड़वानी से लाकर पेश किये जाने पर उसके द्वारा उक्त पैकेट साक्षीगण के समक्ष जप्त किये गये थे, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी.33 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

23— उक्त साक्षी कमल मोरे अ.सा.8 ने यह भी बताया कि दिनांक 27.3.2025 को उसके द्वारा पीड़िता व आरोपी के जप्तशुदा सभी आर्टिकल एवं रक्त नमूना जांच हेतु पुलिस अधीक्षक बड़वानी के माध्यम से क्षेत्रीय न्यायालयिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट राउ,इंदौर भेजे गये थे, जिसका ड्राप्ट एवं विखंडन प्रमाणपत्र प्रदर्श पी.34 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर है। एफएसएल में आर्टिकल जमा करने की रसीद प्रदर्श पी.35 है। प्रकरण में प्राप्त डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी.36 है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्ष्य अखंडित रही है।

24— कमल मोरे अ.सा.8 ने अपने कथन में बताया कि उसके द्वारा रजिस्टर की जप्ती कार्यवाही के दौरान विडियोग्राफी की गयी थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा धारा 63(4)(सी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी.38 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में रवानगी वापसी का इन्द्राज रोजनामचा सान्हा में किया गया था, जिनकी प्रतियां प्रदर्श पी.39 लगायत प्रदर्श पी.41 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा प्रकरण में दस्तयाबी कथन और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 142, 64(1), 64(2)एम), 87, 3 (5) बीएनएस एवं धारा 3/4, 5(एल)/6 पॉक्सों एक्ट का इजाफा किया गया।

25— प्रकरण में प्राप्त उक्त डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी.36 अनुसार पीड़िता के

स्त्रोत (प्रदर्श–A, B एवं C) से प्राप्त पुरूष (Y) डीएनए प्रोफाइल, संदीप के स्त्रोत (प्रदर्श–G) से प्राप्त पुरूष (Y) डीएनए प्रोफाइल के समान है। उक्तानुसार निश्चात्मक परिणाम प्राप्त हुये है।

26– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। उन्हें असत्य रूप से प्रकरण में आलिप्त किया गया है। उक्त तर्क के परिपेक्ष्य में प्रदर्श पी.36 की डी0एन0ए0 रिपोर्ट तथा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के संदर्भ में पीड़िता एवं उसकी मां की अभिलेख पर आयी साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

27– पीड़िता अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वह आरोपी संदीप व अन्य आरोपीगण को नहीं जानती है। उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, तो वह गुस्से में उसकी मौसी के घर बस में बैठकर गुजरात चली गयी थी।उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। गुजरात में उसे आरोपीगण नहीं मिले थे। गुजरात में उसने उसका वास्तविक नाम ही बताया था। उसे पुलिस ने नहीं ढूंढा था, उसके माता–पिता का फोन आया था, तो वह घर आ गई थी। दस्तयाबी पंचनामा प्रदर्श पी. 1 है, जिस पर उसने ए से ए भाग पर बड़वानी थाने पर हस्ताक्षर किए थे। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया था, किंतु एम.एल.सी.फार्म प्रदर्श पी.2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी को रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्रदर्श पी.3 के जिसके ए से ए भाग पर चस्पा फोटो दिखाए जाने पर साक्षी का कहना है कि उक्त फोटो उसकी है। पुलिस ने उसे उसके माता–पिता के सुपुर्द कर दिया था, उक्त सुपुर्दगी पंचनामा प्रदर्श पी 4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। इससे पूर्व उसके न्यायालय में कथन नहीं हुए थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिए थे।

28– पीड़िता अ.सा.1 द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने पर उसे पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये, जिसमें आरोपीगण को जानने, आरोपी संदीप को करीब एक साल से जानने पहचानने, अभियुक्त संदीप की बहन उसके गांव में ही रहने से आरोपी संदीप वहां आते जाते रहने, उसकी पहचान आरोपी संदीप से होने पर वे एक दूसरे को पसंद कर एक दूसरे से शादी करना चाहने, यह बात बताये जाने पर उसके घर वालों ने शादी करने से मना कर देने,दिनांक 04–अक्टूबर को घर पर अकेली होने पर दिन के करीब 12 बजे मौका देख कर बस में बैठकर बड़वानी आने, फिर बड़वानी से बस में बैठकर आरोपी संदीप के गांव सोनगांव थाना बाग पहुंचकर पूछते पूछते संदीप के घर चली जाने, जहां संदीप व उसका भाई रवि घर

पर मिलने पर उनको घर से भाग कर आ जाने का बताये जाने, वह आरोपी संदीप के घर 2–3 दिनों तक रूकने, फिर संदीप के भाई रवि द्वारा मौरवी गुजरात में एक टाईल्स कंपनी में मजदूरी के लिए बात करने, वहां उसे मजदूरी करने के लिए भेज दिया जाने, साविओ टाईल्स कंपनी मौरवी में ठेकेदार राजू से बातचीत करने पर माटीखाता में काम पर रख लिया जाने, वहां पर कमरा नंबर 13 उनको रहने के लिए मिलने और अभियुक्त वहां पर पति–पत्नी के रूप में मान लिया जाने, उन दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध बनने, उसको असली नाम का पता न चले इसलिए वहां के हाजरी रजिस्टर में उसका नाम मिनाक्षी लिखवाया जाने, करीब तीन महीने बाद उनको पुलिस ढूंढ रही होने का पता चलने, बड़वानी पुलिस द्वारा उसे और आरोपी दोनों को पकड़ कर थाने पर लेकर आने,उसका मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल बड़वानी में करवाया जाकर प्रदर्श पी 2 एम.एल.सी. के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होने, पुलिस द्वारा उसे उसके माता–पिता के सुपुर्द किया जाने से इंकार किया है, किंतु सुपुर्दगी पंचनामा प्रदर्श पी 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी ने उसके धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन होने से इंकार किया है।

29– पीड़िता को उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी 7 के ए से ए पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी का कहना है कि उसने ऐसे कथन पुलिस को नहीं दिए थे, पुलिस ने उक्त कथन कैसे लिख लिए वह कारण नहीं बता सकती है। पीड़िता की मां अ.सा.2 ने भी अपने कथन में अभियोजन का समर्थन नहीं किया तथा पक्ष विरोधी होकर सूचक प्रश्न के दौरान अभियोजन की ओर से दिये गये समस्त सुझावों से इंकार किया। साक्षी को प्रदर्श पी.8 का पुलिस कथन पढ़कर सुनाये जाने पर उसने ए से ए भाग का कथन पुलिस को नहीं दिया जाना बताया। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तगण उसकी लड़की को लेकर गुजरात नहीं गये थे। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त संदीप ने उसकी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया था। इस प्रकार स्वयं पीड़िता अ.सा.1 एवं पीड़िता की मां अ.सा.2 की अभिलेख पर आयी साक्ष्य से अभियोजन का समर्थन नहीं होता है।

30– यद्यपि अभियोजन की ओर से डीएनए रिपोर्ट प्रदर्श पी.36 के आधार पर मामला प्रमाणित होने का तर्क किया गया है। निःसंदेह डीएनए रिपोर्ट के परिणाम निश्चायक साक्ष्य की भांति ग्राह्य किये जाने योग्य है, किन्तु ऐसी रिपोर्ट का परिणाम अत्यांतिक नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि डीएनए परीक्षण के परिणाम वैज्ञानिक साक्ष्य होकर वैज्ञानिक अभिमत के रूप में ग्राह्य किये जाते है, डीएनए रिपोर्ट एक

संपुष्टिकारक साक्ष्य है और निःसंदेह संपुष्टिकारक साक्ष्य मौलिक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती। माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत सुरेश विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2023 लाइवलॉ (बाम्बे) 153 में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मौखिक साक्ष्य विश्वनीय न हो, वहां केवल डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती। सुस्थापित रूप से केवल संपुष्टिकारक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की जा सकती तथा उपलब्ध साक्ष्य अनुसार पीड़िता के साथ अपराध कारित होने के संदर्भ में संदेहास्पद हो तो अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत सौरभसिंह परमार विरूद्ध म.प्र.राज्य कि.अपील नं.4166/2023 निर्णय दिनांक 17.7.2023 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पीड़िता की साक्ष्य को नजर अंदाज करते हुये केवल डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता।

31— हस्तगत प्रकरण में विचारणीय प्रश्न क्र.1 पर आये निष्कर्ष अनुसार पीड़िता की उम्र घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित नहीं पाया गया है तथा पीड़िता व उसकी मां के द्वारा भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी.36 की डी.एन.ए.रिपोर्ट सकारात्मक होने पर भी अभियोजन के लिये सहायक होना प्रमाणित नहीं होती है।

32— उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन अभियुक्त संदीप पर आरोपित अपराध धारा—137(2), 87, 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं अभियुक्त रवि, भूरसिंह एवं दीपिका पर आरोपित अपराध धारा 142 सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। जहां तक संदीप पर आरोपित अपराध धारा—5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध का प्रश्न है, तो पीड़िता की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 29 व 30 की उपधारणा भी लागू नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा—5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध प्रमाणित नहीं होती है। अतः अभियुक्त संदीप को आरोपित अपराध धारा—137(2),87,64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा—5(l)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से तथा अभियुक्त रवि, भूरसिंह एवं

दीपिका को आरोपित अपराध धारा–142 सहपठित धारा 3(5) भारतीय न्याय संहिता दोषमुक्त किया जाता है।

33– प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति या तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर पीड़िता को प्रतिकर दिलाया जावे।

34– अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके धारा–481 बी.एन.एस.एस.के तहत आगामी 06 माह के लिये निरन्तर रखे जाते है। अभियुक्तगण के न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने संबंधी प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा 468 बीएनएसएस के अधीन तैयार किया जावे।

35– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

36– निर्णय की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में पारित कर,
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

REKHA CHANDRAVANSHI
Digitally signed by REKHA CHANDRAVANSHI
Date: 2026.06.27 16:26:36 +0530

(रेखा आर.चंद्रवंशी)
विशेष न्यायाधीश,पॉक्सो अधिनियम,
बड़वानी (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

REKHA CHANDRAVANSHI
Digitally signed by REKHA CHANDRAVANSHI
Date: 2026.06.27 16:26:43 +0530

(रेखा आर.चंद्रवंशी)
विशेष न्यायाधीश,पॉक्सो अधिनियम,
बड़वानी (म.प्र.)